०५/प्रार्थनापत्र/२०२५

रमेशचन्द मीणा V/s सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निर्णय दिनांक 23/1/25
	बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया तथा प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम श्यामु, तहसील बून्दी में स्थित आराजी खसरा संख्या 676/593 रकबा 2 बीघा सिवायचक भूमि पर संवत 2080 फसल खरीफ में अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जाकर अतिक्रमण किया है। नायब तहसीलदार बून्दी की पत्रावली संख्या 1110/2023 दिनांक 22.3.23 के आधार पर पश्चात् प्राप्ति अतिक्रमी होना पाया जाने से शास्ति, फसल निलामी एवं 30 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी का अतिक्रमण नहीं होने, कब्जा छोड़ दिये जाने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी बाद सुनवाई अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो/प्रा०पत्र अपील के संलग्न हो।
	23/01/25 जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)